**संख्या- 23 /2020/227/22-4-2020-48(5)/03**

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 31 मार्च, 2020

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, संतकबीरनगर के पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित कार्यमदों में से अवशेष उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1531/नम-3-39-वैलूम-संतकबीरनगर/2019, दिनांक 15.01.2020 एवं पत्र संख्या-5480/नम-3-39-वैलूम-संतकबीरनगर/2019, दिनांक 20.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निर्माणाधीन जिला कारागार,संतकबीरनगर में सी0सी0टी0वी0 सर्विलान्स, रेडियो ट्रान्समिसन सेट, मेटल डिटेक्टर एवं पी0ए0 सिस्टम के क्रय/स्थापना कराये जाने हेतु धनराशि रू0 1,36,39,000/-(रूपया एक करोड़ छत्तीस लाख उन्तालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपकरणों का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं सुसंगत नियमों तथा संगत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इसका दायित्व वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ का होगा।

(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(3) सम्बन्धित संस्था द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्थापित करने एवं उसके रख-रखाव का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनाराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित मूल एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश दिनांक 30.05.2018 की शर्तों यथावत लागू रहेंगी।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट से ही वहन किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-866/दस/2020, दिनांक- 31 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव।

संख्या-**23**/2020/227(1)/22-4-2020-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।